भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 336
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अत्याधुनिक अवरोधक

336. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः

क्या **मत्स्यपालन**, **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछली पकड़ने वाली नौकाओं को किसी भी टक्कर से बचाने के लिए समुद्र-पूल के खंभों पर स्थापित किए जाने वाले अत्याधुनिक अवरोधकों हेतु वर्ष 2014 से लेकर अब तक उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और उनके लिए अब तक स्वीकृत/खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है जिसके लिए वह अगले बीस वर्षों तक प्रीमियम किश्तों का भुगतान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के विकास और मछली पकड़ने के जहाजों के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग और अन्य भूमि आधारित सुविधाएं प्रदान करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मछली पकड़ने के जहाजों और संरचनाओं के नुकसान को रोकने के लिए मत्स्यन बंदरगाह / मत्स्य लैंडिंग केंद्रों में व्हारफ और जेट्टी के समानांतर अत्याधुनिक अवरोधक (फेंडर) प्रदान किए जाते हैं । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार समुद्री पुलों के खंभों के लिए अत्याधुनिक अवरोधक (फेंडर) उपलब्ध नहीं करा रहा है ।

(ख): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मछुआरों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य किसानों और मत्स्य पकड़ने और मात्स्यिकी के संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान करता है । पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज के रूप में (i) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000 रु/-, (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000 रु./- और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती खर्चों के लिए बीमा कवरेज 25,000 रु/- शामिल है । उल्लिखित बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम को पीएमएमएसवाई के स्वीकृत फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाता है ।

*****